संख्या-24/2026/I/1241812/2026/002-71-2099-1199-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक-17.02.2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ''39-औषधि तथा रसायन'' मद में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/ए0टी0सी0/1712/2025, दिनांक 06.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेण्टर में 24 घण्टे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 300.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-61/2025/I/1007070/2025/001-71-2099-1199-2020, दिनांक 27-06-2025 द्वारा रू0 700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0375-रायबरेली रोड स्थित ट्रामा सेन्टर में प्रथम 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु-39-औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा
2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
3. निदेशक, संस्थान का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि को अगले वित्तीजय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्यायवर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050375 रायबरेली रोड स्थित ट्रॉमा सेन्टर में प्रथम 24 घंटे नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मानक मद 39 औषधि तथा रसायन के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-24/2026/1/1241812/2026/002-71-2099-1199-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।